No

संख्या– 1462 /26–3–2011–स0क0–3

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक : 21 अप्रैल, 2011

विषय : पी0सी0आर0 एक्ट, 1955 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अधीन भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 31 मार्च, 1995 में प्रख्यापित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुसार समिति के बैठके आहूत कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पी0सी0आर0 एक्ट, 1955 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अधीन भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 31 मार्च, 1995 में प्रख्यापित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अन्तर्गत जनपद में उत्पीड़न से प्रभावित अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता, उत्पीड़न निरोधक कार्यवाहियॉ एवं अन्य प्रकरणों पर समीक्षा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में संसद, राज्य विधान सभा तथा विधान परिषद के चुने गये सदस्य, पुलिस अधीक्षक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित राज्य सरकार के तीन समूह **"क"** अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिक 5 गैरसरकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न प्रवर्ग के ऐसे अधिक से अधिक 3 सदस्य होंगे, जो गैर सरकारी संगठनों से सहबद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव होंगे।

3– नियमावली के बिन्दु संख्या–3 के प्रस्तर–7 में यह व्यवस्था दी गयी है कि अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की स्थापना की जायेगी। पैरा–17 में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जायेगी तथा वर्ष में कम से कम 04 बैठके आयोजित की जायेंगी, जिसको आयोजित कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जनपद के जिलाधिकारी का है।

4– जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में उपलब्ध करायी गयी सूचना की समीक्षा में यह पाया गया है कि जनपद स्तर पर उक्त समिति की बैठकें नियमित रूप से नही करायी जा रही हैं एवं कतिपय जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा गलत सूचना भी प्रेषित की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप नियमावली में प्रख्यापित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नही हो पा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तर पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में क्रमशः माह–जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च में आयोजित कराकर बैठकों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या /26–3–2011–स0क0–3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बैठक से संबंधित पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये जाने की पूर्ण जम्मेदारी आपकी होगी।

(बी0बी0सिंह)
संयुक्त सचिव।